

142
11/11/17, सीपी/07/2017/3018

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा,
जिला-रीवा (म.प्र.)



301-

सत्य प्रसाद सिंह तनय छोटेलाल सिंह निवासी ग्राम पडैनिया, तह0
गोपदबनास, जिला सीधी, (म.प्र.)

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

- 01- राजेश्वरी सिंह तनय छोटेलाल सिंह, निवासी ग्राम ग्राम पडैनिया, तह0
गोपदबनास, जिला सीधी, (म.प्र.)
- 02- श्रीमती शकुन्तला सिंह उर्फ कुन्ती देवी पत्नी स्व. विष्णू प्रताप सिंह
- 03- पुष्पराज सिंह तनय स्व. विष्णू प्रताप सिंह
- 04- हेमराज सिंह पिता स्व. विष्णू प्रताप सिंह
सभी निवासी ग्राम अमहवा, तह0 गोपदबनास, जिला सीधी, (म.प्र.)
- 05- सरला सिंह पुत्री स्व. विष्णू प्रताप सिंह पत्नी श्री वैजनाथ सिंह उर्फ
मामू निवासी ग्राम पहउआ, तह0 गुढ़, जिला-रीवा (म.प्र.)
- 06- सुरेखा सिंह पुत्री स्व. विष्णू प्रताप सिंह निवासी ग्राम बहेरा (रामडीह),
तह0 सोहावल, जिला-सीधी (म.प्र.)

.....गैर पुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
अपर आयुक्त महोदय, संभाग रीवा, जिला
रीवा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक
79/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक
25.08.2017 के विरुद्ध
पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं.
1959 ई.

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्न है :-

- 01- यह कि आधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय,
संभाग रीवा, जिला रीवा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक
79/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2017 विधि
व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सत्य प्रसाद सिंह


Hcy 440. N

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० III/निगरानी/सीधी/भू-रा०/2017/3018

जिला-सीधी

सत्य प्रसाद सिंह/राजेश्वरी सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.01.18	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	